अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1485(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27.11.2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1365 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'प्रणव कन्या संघ, पोस्ट आफिस हृदायुर, कोलकाता-700127, पश्चिम बंगाल' द्वारा 'भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकों, सिलाई की मशीन, आदि की खरीद तथा परियोजना के संचालन' की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1166 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों

की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 849 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का.आ.467 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 467 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 10.00 लाख रुपये की एक कापर्स निधि सहित 143.33 लाख रुपये से बढ़ाकर 60.00 लाख रुपये की कापर्स निधि सहित 3.85 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'प्रणब कन्या संघ, पोस्ट आफिस हृदायुर, कोलकाता-700127, पश्चिम बंगाल' द्वारा चलाई जा रही 'भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकों, सिलाई की मशीन, आदि की खरीद तथा परियोजना के संचालन' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं.139/2015/ फा. सं. वी.27015/1/2015-एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)